भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3409

दिनांक 16.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

रसायन उद्योग में तेजी लाना

3409: श्रीमती नवनित रवि राणा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में विशेष रासायनिक क्षेत्र उन कुछ क्षेत्रों में से एक है, जो मौजूदा कोविड-19 मंदी से काफी हद तक प्रभावित नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यात और तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुकूल नीति संरचना बनाकर देश में रासायनिक उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए जो घरेलू उद्योगों को वैश्विक मानकों पर बढ़ने में मदद करेगी, तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उत्पादन-आधारित-प्रोत्साहन योजना और "आत्मनिर्भर भारत" रासायनिक उद्योग के लिए मांग सृजित करता रहेगा क्योंकि यह अधिकतर विनिर्माण क्षेत्रों में फैला हुआ है, क्या उपाए किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)</u>

(क) तीन खतरनाक रसायनों को छोड़कर रासायनिक क्षेत्र लाइसेंसिंग व्यवस्था से मुक्त है। नए उपक्रम स्थापित करने या रासायनिक क्षेत्र में पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) प्राप्त करने की आवश्यकता है। उद्यमी, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, मांग और आपूर्ति परिदृश्य और फीडस्टॉक/कच्चे माल की लागत और मुक्त बाजार में बिक्री की स्थिति के आधार पर इकाइयां लगा रहे हैं। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

प्रमुख रसायनों के उत्पादन की मात्रा (पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 80.75 लाख टन की तुलना में 2020-21 के दौरान (नवंबर, 2020 तक) घटकर 69.34 लाख टन हो गई और इसमें 14.13% की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान प्रमुख रसायनों में, कीटनाशकों (पेस्टीसाइड्स और इन्सेक्टीसाइड्स) के उत्पादन में 23.5% की वृद्धि हुई है और अल्कली रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और रंगों और रंजक के उत्पादन में कमी आई है।

प्रमुख पेट्रोरसायनों के उत्पादन की मात्रा भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 282.48 लाख टन की तुलना में 2020-21 के दौरान (नवंबर, 2020 तक) घटकर 266.20 लाख टन हो गई और इसमें 5.76% की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान सभी प्रमुख पेट्रोरसायन अर्थात सिंथेटिक फाइबर, फाइबर इंटरमीडिएट, पॉलिमर, सिंथेटिक रबर, प्रदर्शन प्लास्टिक, एरोमैटिक्स और अन्य पेट्रोरसायन का उत्पादन, सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट और ओलेफिन्स को छोड़कर, घट गया।

(ख) और (ग): सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्वीकृत चार पीसीपीआईआर में एकीकृत शीर्ष श्रेणी का बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए "पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति, 2007" को अधिसूचित किया है। संपूर्ण वैल्यू चेन के साथ विकास के लिए फीडस्टॉक/बिल्डिंग ब्लॉक्स/इंटरमीडिएट्स पर सीमा शुल्क के युक्तिकरण द्वारा रासायनिक क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, रासायनिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों और विदेशी निर्माताओं के साथ विभिन्न वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों के माध्यम से विदेशी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वचलित मार्ग के माध्यम से एकमुश्त शुल्क/रॉयल्टी के भुगतान पर उच्चतम सीमा की शर्त के अधीन अनुमति दी जाती है। बजट 2021-22 में घोषित 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन-आधारित-प्रोत्साहन योजना और 'आत्मानिर्भर भारत' के लिए जोर देने जैसे हालिया उपाय रासायनिक उत्पादों की मांग को बढ़ाकर रासायनिक क्षेत्र के विकास में मदद करेंगे।

*****